

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2025

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत गाजियाबाद शहर की मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना हेतु जी0एस0टी0 वृद्धि व अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-126/2021/2139/नौ-9-2021-123ज/21, दिनांक 30.12.2021 द्वारा गाजियाबाद शहर की मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना लागत धनराशि ₹0 3883.38 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि ₹0 388.338 लाख (₹0 तीन करोड़ अठ्ठासी लाख तैंतीस हजार आठ सौ मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-115/2022/1421/नौ-9-2022-123ज/21, दिनांक 16.08.2022 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि ₹0 1553.35 लाख (₹0 पन्द्रह करोड़ तिरपन लाख पैतीस हजार मात्र), शासनादेश संख्या-36/2023/485/नौ-9-2023-002-ई-1521981-123ज/21, दिनांक 27.03.2023 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि ₹0 970.845 लाख (रूपये नौ करोड़ सत्तर लाख चौरासी हजार पाँच सौ मात्र) तथा शासनादेश संख्या-119/2024/89/नौ-9-2024-001-ई-1521981-123ज/21, दिनांक 12.01.2024 द्वारा चतुर्थ किश्त की धनराशि ₹0 776.676 लाख (रूपये सात करोड़ छिहत्तर लाख सरसठ हजार छः सौ मात्र) निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-3206/106/SSCM/2020-21, दिनांक-08.01.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर गाजियाबाद शहर की मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना हेतु अवशेष 05 प्रतिशत ₹0 194.17 लाख व जी0एस0टी0 वृद्धि (12% से 18%) ₹0 180.61 लाख तथा अतिरिक्त कार्य लागत धनराशि ₹0 39.82 लाख, कुल ₹0 414.60 लाख के सापेक्ष निविदा उपरांत बचत धनराशि ₹0 91.12 लाख को समायोजित समायोजित करते हुए शेष धनराशि ₹0 323.48 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद शहर की मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना हेतु अंतिम किश्त के रूप में शेष धनराशि ₹0 323.48 लाख (रूपये तीन करोड़ तैंतीस लाख अड़तालीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, गाजियाबाद को अंतरित/व्यय की जायेगी।

- (2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2025 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (3) शासनादेश शासनादेश संख्या-126/2021/2139/नौ-9-2021-123ज/21, दिनांक 30.12.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,23,48,000 (रुपये तीन करोड़ तेईस लाख अड़तालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 ब्रेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
(अरुण प्रकाश)

Date: 08/02/2025 11:47:20

संख्या- 44/2025/52/नौ-9-2025-001-ई-1521981-123ज/21. तददिनांक

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, मेरठ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
9. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, गाजियाबाद ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)
विशेष सचिव।